प्रेस नोट 23/09/2024

चोरी के 02 अदद इनवर्टर, 02 अदद बैट्री व 03 अदद सोलर पैनल के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 23/09/2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर भातकोल पेट्रोल पम्प के आगे बाएं चकभदवां हरिजन बस्ती के पास से मु0अ0सं0 319/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) ,317(4) ,317(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 320/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण नितिन राय पुत्र प्रवीण चंद्र राय निवासी रामगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, शुभम राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर निवासी भदवा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 02 अदद इनवर्टर, 02 अदद बैट्री व 03 अदद सोलर पैनल बरामद किया गया। व दो व्यक्ति भाग गये जिनका नाम क्रमशः 1. समीर राय पुत्र संतोष राय निवासी भदवा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ तथा 2. आकाश गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ निवासी भदवा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ है, गिरफ्तार अभियुक्तो से पुछताछ में बताया किं दिनांक 12/09/24 को रात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भातकोल थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ में हम चारों लोगों द्वारा ताला तोड़कर एक नीला इनवर्टर व एक सफेद बैट्री चोरी की गई थी तथा पुनः दिनांक 17/09/24 को हम चारों लोगों द्वारा बाल चंद प्राथमिक पाठशाला पब्लिक स्कूल कुकुडीपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ स्कूल से रात में ताला तोड़कर तीन सोलर पैनल, एक लाल बैट्री व एक लाल इन्वर्टर की चोरी की गई थी ।उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 319/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 320/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. नितिन राय पुत्र प्रवीण चंद्र राय निवासी रामगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. शुभम राजभर पुत्र राजेंद्र राजभर निवासी भदवा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

बरामदगी–

1. एक अदद इन्वर्टर एक्साइड कम्पनी, एक अदद बैट्री एक्साइड कम्पनी, की व तीन अदद सोलर पैनल मु0अ0सं0 319/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस।
2. एक अदद इन्वर्टर ल्यूमिनस कम्पनी व एक अदद बैट्री ल्यूमिनस मु0अ0सं0 320/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, प्रशिक्षु उ0नि0 देवेश मिश्र, हे0का0 जितेन्द्र पाण्डेय, का0 संजीत कुमार, का0 संदीप कन्नौजिया, का0 अभिषेक यादव, का0 चन्द्रभान -2 थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 23.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बुलाकीपुरा के पास से मु0अ0सं0 282/24 धारा 75(2), 79, 352, 351(2), 64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त रईस अहमद पुत्र स्व0 मुमताज निवासी जहागीराबाद थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

दिनांक 18.09.2024 को 01 घर से नाराज होकर घर से भाग जाने वाला गुमशुदा नाबालिग लडका (14 वर्ष) को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर, किया गया परिजनों को सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट में पंजीकृत मु0अ0सं0 195/24 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित गुमशदा के संबंध में पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 22.09.2024 की 01 गुमशुदा नाबालिग (14 वर्ष) को वाराणसी स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.09.2024 को सुबह स्कुल के लिए निकला तथा घर नही पहुचने पर जितेन्द्र सोनकर पुत्र झब्बू सोनकर निवासी बसारतपुर थाना दोहरीघाट ने सूचना दिया कि मेरा भांजा अंश सोनकर पुत्र उमेश सोनकर निवासी बसारतपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, जो दिनांक 18.09.2024 को सुबह स्कुल के लिए निकला लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। इस सूचना के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त नाबालिग की सकुशल बरामदगी किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट व क्षेत्राधिकारी घोसी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा उक्त 01 नाबालिग को वाराणसी स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया तथा परिजनों को सुपुर्द किया गया।